

Date: May 28, 2024

To, BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400001	To, National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051
Scrip Code: 544044	NSE Symbol: INDIASHLTR

<u>Sub: Disclosure under Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure</u> <u>Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations")</u>

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the newspaper advertisements published in Mint (English edition) and Navodaya (Hindi Edition) on May 28, 2024, in connection with the 26th Annual General Meeting of the company scheduled to be held on Wednesday June 19, 2024, at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means.

The newspaper publications are also made available on the Company's website www.indiashelter.in.

Request you to please take the same on your records.

For India Shelter Finance Corporation Limited

Mukti Chaplot Company Secretary and Chief Compliance Officer Mem. No. 38326



<section-header><section-header><section-header><text>

Trustee of Mutual Fund or managing the affairs of Mutual Fund

IF VOIL ARE

Sub Registrar	Trustee of Mutual Fund or managing the affairs of Mutual Fund
Co-operative Bank	Foreign Exchange Dealer
Postmaster General	Company paying dividend
Issuer of bonds, debentures, or shares	Company buying back its shares
Banking company	Supplier of goods or services (whose accounts are required to
NBFC	be audited u/s 44AB of the IT Act, 1961)
Nidhi	

THEN YOU ARE

Required to file Statement of Specified Financial Transactions (SFT) in Form No. 61A for transactions entered with third parties during F.Y 2023-24 as per Rule 114E of the Income-tax Rules, 1962

For Registration and Submission



CIN: L65922HR1998PLC042782 Registered Office: 6th Floor, Plot No. 15, Institutional Area, Sector 44, Gurgaon, Haryana-12 Pener:49.1324.132800 Empil Id. multi-benet/Gelicebelter in Website: www.indiacbelt

INFORMATION REGARDING 26TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD ON JUNE 19, 2024

NOTICE is hereby given that the Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on **Wednesday, 19th June 2024 at 11:00 A.M.** IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ('OAVM") to transact the businesses as set out in the notice of AGM in compliance with provisions of Section 108 and other applicable provisions of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, the General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 the General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, the General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020 the General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, the General Circular No. 21/2021 dated January 13, 2021, the General Circular No. 21/2021 dated December 8, 2021, the General Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, General Circular No. 2/2022 dated May 5, 2022, the General Circular No. 10/2022 dated December 8, 2021, the General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (including any statutory modification (s) or reenactments (s) thereof for the time being in force and amended from time to time), Secretarial Standard-2 and such other applicable laws and regulations.

The approval of Members of India Shelter Finance Corporation Limited is being sought to transact the businesses as set out in the Notice of Annual General Meeting to be held on June 19, 2024 along with the explanatory statement, which will be dispatched to all the Members of the Company, who have registered their email address with the Company/ Registrar and Transfer Agent/ Depository Participants/ Depositories as on May 24, 2024 (the "cut-off date").

Members can attend and participate in the AGM only through VC/OAVM. The procedure and instruction for joining AGM through VC/OAVM will be provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The members whose e-mail ids are not yet registered or updated are requested to register their e-mail address with the depository participants.

The Company is providing remote e-voting facility to all its members to cast their votes on all the resolutions which are set out in the Notice of the AGM. Members have the option to cast their vote on any resolution using the remote e-voting facility or Insta Poll during the AGM. Detailed procedure for remote e-voting / Insta Poll during the AGM for all the members (including the members holding shares in physical form / whose email addresses are not registered with DPs/Company/RTA) will be provided in the Notice of the AGM.

The Notice of Annual General meeting will also be available on the Company's website at https://www.indiashelter.in/, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. For India Shelter Finance Corporation Limited

Date: May 27, 2024

Place: Gurugram

-/Sd Mukti Chaplot

Company Secretary and Chief Compliance Officer Membership No.38326

mint

Think Ahead. Think Growth

Connecting you to Global Insights!

Discover comprehensive business news & perspectives curated by the



की लिपि

से भी पूछताछ कर रही है,आरोपी नवीन और उसकी पत्नी के बैंक खातों की भी जांच की

जा रही है। जहां से ऑक्सीजन सिलेंडर आते जा रहा ह। जहा स आवस्पाजन ।सलवड आत हैं। उन कंपनियों से भी पूछताछ होगी, जिसके वाद गता चल पाएगा कि बेबी डे केयर में कितने ओक्सीजन सिलेंडर आते थे। पुलिस टीम ने मामले में बेबी केयर के आसपास रहने वालों के भी बयान दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। मामले को

दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने भी गंभीरता से लिया

दिएला नाउकल काअसल ने मानारता सालाक है। सोमवार को मुतक बच्चों के परिजन बेबी कैयर पहुंचे, उनकी पथराई आंखें नम थी आंसू रुक नहीं रहे थे, कोई फूट, फूटकर रो रहा था तो कोई प्रशासन पर आरोप लगाकर अपना गुस्सा

व गम जाहिर कर रहा था।

नहीं हैं क्वालीफाइड डॉक्टर

बेबी केयर सेंटर के मालिक नवीन खिची ने बाल चिकित्सा i एमडी किया है और वो पश्चिम विहार में रहता है। उसकी त्नी जागृति डेंट्रिंटर है और इस अस्पताल को चलाती है।

इस हॉस्पिंटल में बीएएमएस डॉक्टरों की ड्यूटी लगी थी, जो बच्चों का केयर करने के लिए क्वालीफाई नहीं थे। बेबी केयर

बच्चा का कवर करने का लए कवालाफाइ महा था अबा कवर मेंदेर में बच्चों के इलाज के लिए एमबीबीएस डॉक्टर को होना चाहिए था, लेकिन यहां बीएएमएस डिग्री धारक डॉक्टर मों जूद थे। जब हादसा हुआ तो घवराहट में सभी स्टाफ मौके से भाग

आंकडे बताते हैं कि बीते 2 साल

में दिल्ली के 66 अस्पताल आग की चपेट में आ चुके हैं। जिनमें से 30

मामले 2022 में और 36 मामले

पिछले साल यानी 2023 में सामने

आए। इसी साल 26 फरवरी को मध्य

बेबी केयर सेंटर में मिलीं खामियां हद दर्जे की लापरवाही, रास्ता भी एक और वह भी तंग गली जैसा!

पलिस अधिकारियों ने बताया कि एनओसी न युत्तिस आवर्यगार्थना न बतावा कि रनआसी न होना, अनुभवी डॉक्टर की कमी से लेकर बेबी केयर में कई चीजें ऐसी पाई गई, जो गैरकानूनी तरीके से चल रहीं थी। उसी में से एक हूँ बेबी केयर में आने जाने वाला रास्ता, एक ही था और वह भी एक गली जैसा है | अगर आपातकालीन रास्ता होता. तो शायद अगर आधातफालान रास्ता हताता, ता शावद बच्चों के मरने का आकड़ा कम हो सकता था। लेकिन बेबी केयर बनाते वक्त इस बात कर ध्यान नहीं रखा गया इसलिए एक ही सीढ़ी को बाहर से रखा गया था |

से तीन बच्चे

का जा रहा है। मामल में आरोप भ बच्चों का पिछला रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। बेशक रिकॉर्ड आग में जल गया है। लेकिन इन सब का रिकॉर्ड खंगालने के लिए आरोपी नवीन और उसकी पत्नी के बैंक खातों की

जार उसका परना के बंक खाता क जांच के लिए एक टीम को लगाया गया है। अस्पताल और संचालकों के बैंक खातों को भी सीज किया

अस्पतालों के लिए

फायर सेफ्टी नियम

रमोळ आउटलेट और एयर इनलेट की

स्पाछ आउटलट आर एवर इनलट क व्यवस्था होनी चाहिए और बहुमंजिला इमारतों में वेंटिलेशन डक्ट बनाए जाने का नियम है। पर ज्यादातर अस्पताल इसका पालन नहीं करते हैं। प्राइवेट

इसको पालन नहां करत हा आइवट अस्पतालों में लगभग उतनी ही दुर्घुटनाएं हुई हैं जितनी सरकारी अस्पतालों में हुई है। प्राइयेट अस्पतालों में 49% तो सरकारी अस्पतालों में 51% आग की घटनाएं ही चुकी हैं।

भाजपा ने दिल्ली सरकार की

कार्यप्रणाली पर उढाया सवाल

नई दिल्ली, 27 मई रजीरव राष्ट्रीया संयोगि नई दिल्ली, 27 मई रजीरव से मामले में भाजवा के अस्पताल के डाकर, दिल्ली सरकार और उसके रवस्थव मंत्री के कार्यप्राली पर भी सवाल उठावा है। प्रदेश भाजवा अध्यक्ष वॉर्ट्र सप्लदेश और मीडिया प्रमुख प्रवेश भाजवा अध्यक्ष वॉर्ट्र सप्लदेश और मीडिया प्रमुख सरकार को पेरा। वॉर्ट सप्लवेश ने करा कि अगि कर्ष गयन

वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अग्नि कांड ग्रस्त शिश

गया है।

मेडिकल काउसिल खफा

दिल्ली मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष डॉ अरुण गुप्त का कहना है कि नर्सिंग होम खोलने के क्या नियम है, इसके

लिए दिल्ली नसिंग होम रजिस्टेशन एक्ट में गाइडलाइंस व

रिपर पिरपति गांसने होना अनरहरों। स्वेट न गांबरुआवर य गई हैं, इसमें कई पैरामीटर हैं, जिनका पालन करने पर ही नर्सिंग सेंटर बहाला जा सकता है।दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेग एक्ट के तहत रजिस्टर होना भी जरूरी है। कहा है कि सभी नर्सिंग होम का जल्द से जुल्द सर्वे होना चाहिए और उनमे

सरक्षा उपायों की जांच होनी चाहिए।

2 साल में 66 अस्पतालों में लगी आग

में आग लगने की घटनाओं

2023 में जनवरी से मई महीनों

5,970 कॉल किए गए। वहीं 2024

में इन्हीं महीनों के दौरान 8.201 कॉल

नई टिल्ली २७ मई (पंकज वशिष्ठ/ नवोटर टाइम्प): विवेक नई दिल्ली 27 मई (१४०० वाशाख) नवादय दोईमर)। ववक विहार स्थित जिस बेबी केयर सेंटर में 7 नवजात शिशुओं की जलकर मौत डुईहै, उसका संचालक भर हो लाखों रुपए कमा रहा था, लेकिना बदले में उसने ऐसी कोई सुविधाएं मुहैया नहीं कपाई, जो नियमानुसा होनी चाहिए। यही नहीं मालिक ने बच्चों की देखभाल के लिए शना चाल्ड्रे का तल मालक ने बच्चा का पढ़माल के लग लग एमबीबीएस या चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं बल्कि बीएएमएस इंकिटों को कम पैसों में रखा हुआ था। वेवी केयर संचलक ने इस तरह के दो और बेबी केयर सेंटर बना रखे हैं। प्राथमिक जांच में पता चल रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पर मिले 32 ऑक्सीजन सिलंडूरों में से उ फिलिंग करके उन्हीं अस्पतालों में भेजा जाता था। पलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में कुछ और भी गिरफ्तारों हो सकती हैं।



नई दिल्ली• मंगलवार • २८ मई, २०२४

एक बेड पर थे दो अब निजी और सरकारी अस्पतालों पुलिस आवय्णारचा न बताजा म पांच बेड वाले इस बेबी केयर में 12 बच्चे कैसे थे। जो पूरी तरह से बच्चों की जिंदगी से खेलने का मामला है। का होगा अग्नि सुरक्षा ऑडिट इसको लेकर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मामले में आरोपी से

नई दिल्ली, 27 मई नवोदय टाइम्स): दिल्ली 5 विवेक विहार स्थित बेबी केयर सेंटर में आग लगने से 7 नवजात शिशओं की

आपात बैटक अब ९ मीटर ऊंचाई वाले नर्सिंग होम को भी लगाने होंगे वॉटर स्प्रिंकलर सीडीएमओ को नर्सिंग होम के निरीक्षण के आदेश

मौत के बाद दिल्ली सरकार । सभी निजी और सरकारी ग सना गिंजा जार सरकार अस्पतालों को 8 जून तक अग्नि सुरक्षा ऑडिट पूरा कराने और अनुपालन रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।

सापन के निदेश दिए हो जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अस्पतालों में आगजनी की घटनाओं से निपटने के इंतजामों की पुख्ता जांच हो गई है। साथ नियमानुसार अस्पतालों में फायर ब्रिगेड के इस्तेमाल के लिए फायर लिफ्ट, क इस्तमाल का लिए फावर लिपट, फायर अलार्म, हर मंजिल पर स्मोक डिटेक्टर, आग बुझाने के उपकरण और फायर हाइड्रेंट् होने चाहिए। बेसमेंट में

> वाटर । स्त्रिकलर । संस्टम आर आटामाटक स्माक डिटेकटर सिस्टम होंगे । दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने सोमवार को पूर्वी दिल्ली दिल्ली के स्वास्थ्य मत्रा ग सामजार का रूपा करना के विवेक विहार इलाके में शिशु अस्पताल में आग लगने की घटना पर चुर्चा के लिए बैठक बुलाई। उन्होंने लगन का बटना पर चया का लिए बठक खुलाइ। उन्हान कहा कि एक नियम है कि 9 मीटर से कम ऊंचाई वाले अस्पताल को फावर एनओसी की आवस्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि इस अस्पताल ने भी फायर एनओसी नहीं ली हुई थी। उन्होंने कहा कि इस घटना

> > ...IndiaShelter

दिनांकः 27 मई, 2024 स्थान : गुरुग्राम

को देखते हुए निर्देश दिए हैं कि सभी अस्पताल चाहे वह एक मंजिला हो या दो मंजिला सभी को आग से निपटने के सभी सुरक्षा इंतजाम अस्पतालों में रखने होंगे। अस्पताला में रखन होगा भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना को रोकने के लिए सभी सीडीएमओ को निर्देश जारी किए गए हैं कि अपने-अपने क्षेत्र के सभी प्राइवेट अपने क्षेत्र के समा आइवट अस्पतालों और नर्सिंग होम में जाकर रेंडम इंस्पेक्शन करें, ताकि कहीं कोई कमी पाई जाए तो उसे समय रहते दुरुस्त किया जा सके और दुरुस्त किया जा सके और किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि हमने

24 अप्रैल को सभी अस्पतालों को अग्नि सरक्षा अस्पताला का आग्न सुरक्षा तैयारियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। उन्हें अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने के लिए कहा था। उन्होंने बताया कि फरवरी 2024 में वेबी केयर सेंटर की ओर से वंबी केयर सेटर की आर से रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन पर्याप्त काग्जात न होने के कारण रजिस्टेशन

न होने के कारण राजस्ट्रशन का नवीनीकरण नहीं किया गया था। रजिस्ट्रेशन के दौरान सिर्फ 5 बेड लगाने की अनुमति थी। उन्होंने कहा कि नर्सिंग होम में चल रहे ऑक्सीजन रिफिलिंग कार्य की भी जांच होगी।

भाजपा पर पलटवार

स्वास्थ्य मंत्री ने भाजपा अध्यक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि दोषी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा उन्होंने कहा कि अगर गलती डॉ. दास की होगी त उन पर भी कार्रवाई होगी। कहा, भाजपा के वीरेंद्र

नर्सों के नाम वीरता पुरस्कार

के लिए करेंगे प्रस्तावित दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दो नसौं और कुछ स्थानीय व्यक्तियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना शिशुओं को बचाया। उन्होंने कहा कि हम वीरता

म शरी नहां निरुप्त देवा है,201 चरति किए जा चुके हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या की देखभाल के लिए अस्पतालों में एक्स्ट्रा बेड, उपकरणों और कर्मचारियों की व्यवस्था करनी 📕 प्राइवेट अस्पताल कमाई के लिए हॉल में ज्याटा पडी। भारत के नेशनल बिल्डिंग कोड बेड लगाते हैं भारत के गरागरा बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के तहत अस्पताल सी1 कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इसके मुताबिक अस्पतालों की बनावट दिल्ली के लोक नायक अस्पताल में भयानक आग लग गई थी। जिसकी फायर सेफ्टी को ध्यान में रखकर ही वजह से सात मंजिला इमरजेंसी ब्लॉक इमारत से 50 से ज्यादा लोगों तैयार की जानी चाहिए। लेकिन ऐस ब्लोक इमारत स 50 स ज्यादा लागा को बाहर निकाला गया था। इसमें मरीज और अस्पताल के कर्मचारी दोनों शामिल थे। तथार का जाना चाहए। लाकन एसा होता नहीं है। प्राइवेट अस्पताल हॉल में संख्या से ज्यादा बेड लगा देते हैं। जिससे कमाई ज्यादा हो सके।

७ परिवारों में छाया मातम

भीषण आग ने छीन ली परिवार की ख़ुशियां : रितिक

नुए।स्रेश्वर, निवासी सिराय आर निर्णय के कहा 17 मई को बुलंदरहार के अस्पताल में बेटे ने जन्म लिया था। उसे सांस लेने में दिक्कत थी। इस वजह से अपने जानकार डॉक्टर के कहने पर उसे बेबी केयर अस्पताल में भर्ती कराया था। उनकी एक बेटी पहले

POLICE LINE

NAVODAYA TIMES, New Delhi

当時 -

3

बेबी केयर अस्पताल का संचालक नवीन खीची और डॉक्टर अभिपेक को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 30

जुरी हुई है।

कर दिया जाएगा।

ROSE

मई तक पुलिस की रिमांड में भेज दिया है।

मई तक पुलिस का रिमार्ड में मजा देवा हो। पुलिस ने कोर्ट से आरोपी की पांच दिन की रिमांड मांगी थी। आग की घटना के बाद आरोपी डॉक्टर जयपुर भाग गया था। अस्पताल से अभी डीवीआर नहीं मिला है, उसकी बरामदगी पुलिस करने में

. उर ७ । टोनों गिरफ्तार आगेपियों के मोबाइल का डेटा

दाना गरभतार आरापिया क माबाइल का डटा निकाल कर उसकी जांच करनी है। नवीन खोची ने पुलिस से कहा आग में झुलसने से नवजातों की मौत पर वह शर्मिंदा है। उसने कुबूल किया कि अस्पताल के संचालन में उसने नियमों की

बेबी केयर न्यू बॉर्न चाइल्ड

अस्पताल की हैं और भी ब्रांच

देल्ली के विवेक विहार के अलावा पंजाबी बाग, गरुग्रा

aven के 1999 1981 के अलावा पंजाबा बात, गुरुआन और फरीदाबाद में हैं। पुलिस इन अस्पतालों के भी रिकॉर्ड खंगालेगी। इनकी भी एनओसी आदि की जांच की जाएगी। अगर कहीं भी कमी कमी सामने आई तो जल्द ही इनको सील

पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि बेबी केय

र्न चाइल्ड हॉस्पिटल की चार ब्रांच हैं। जिसमें सेंट

5

बुलंदशहर निवासी रितिक और निकिता के यहां शनिवार सुबह सूचना दी गई थी कि सोमवार को अपने मई को बलंदशहर के अस्पताल में बेटे ने जन्म बच्चों को वापस ले जाना। लेकिन क्या पता था कि रात बच्चा को वारस ले जाना। लाकन क्या पता था के रेत में ऐसी घटना हो जाएगी। घर लौटने से एक दिन पहले ही उसका शब लेकर लौटना पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही पत्नी को बिना बताए वह दिल्ली पहुंच गए।

आरोपी डॉक्टर को ३० मई तक रिमांड पर भेजा

अस्पताल संचालक की पत्नी से भी पूछताछ सिलेंडर कहा से आते थे, होगी जांच

अनदेखी की हुई थी। उसका पांच बेड का अस्पताल है, लेकिन उसने 12 बच्चों को भर्ती किया हुआ था। हादसे के वक्त अस्पताल में दो डॉक्टर, छह्

हादस क वक्त अस्मताल में दो डाक्टर, उख नर्सऔर एक सुरक्षाकाम मां जुद था। जो तवाजातें की परवाह किए बिना अपनी जान बचाकर भाग खडे हुए। हादसे के 12 घंटे के बाद पुलिस ने अस्पताल संचालक डॉ. नवीन खींची व अस्पताल के डॉ. जाकाश को गिरपता रक ति लिया। पुलिस बेबी केयर संचालक नवीन की पत्नी

खडे हए।

बच्ची के पेट में था संक्रमण.

पवन यूपी पुलिस में सिपाही हैं। उनको आग लगने की सुचना एक रिश्तेदार ने दी। दो साल पहले ही पबन व भारती की शादी हुई थी। मुलरूप से बापार के रहने वाले पवन और इनकी पत्नी भारती के रखी। 18 मेंई को बेटी ने जन्म लिवा जा उसके हर में मेरकाण्या 10 से बेवी केयर अपरावत रेफर किया गया था। बच्ची की मां भारती का रो रोकर खुरा हाल है।

बच्चे को दो दिन पहले ही एडमिट कराया था

यहां भर्ती हुई एक बच्ची को लगातार बुखार और संक्रमण था। दो दिन पहले ही उसे उडमिट किया था। राजकुमार माली का काम करता है। बेटी की मौत के बाद से परिवार का रो–रोकर बुँरा हाल है। साहिबाबाद, गाजियाद निवासी राजकुमार और उमा की 17 दिन की बेटी थी। उसे लगातार बुखार और संक्रमण था।

बेटे को जन्म से ही सास लेने की हो गई थी मौत . .

भाग लगने भ पहल हा शानवग 1.0.20 कव एक अंत्र परिवार के साय कुआग गर के नववात की सामी ये मौत ही गई। परिवन रात होने कॉलि नगर इलाके में रहते हैं। अंजार और की वजह से बेटे का शब लेकर नहीं गए। इय बीच नूरवहां के रहां 1.5 मई को बेटी ने जन्म लिया रात में हाइया हुआ तो नवीन के बेटे का प्रथा से नूरवहां के रहां 1.5 मई को बेटी ने जन्म लिया रात में हाइया हुआ तो नवीन के बेटे का प्रथा से युवा जम के स्पर उसके देस दें गैरा पानी गया उसकी मौत हारस में मही हुई है। नवीन और चला गया बा इसकी नजह में बेटी नो संजम्म ज तुरसु मा या इस इस ने से अंजार की बेटी की भी शालीसाम पाईन के एक निजी अस्पताल में वारवारा मौत हो गई। दंपति का से से कर बुस हाल हैं।



भारत संवर्ध्या न कहा कि आग कोड प्रस्त शिशु संस्पताल मामले में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी डा. आर.एन. दास की भूमिका बेहद संदिग्ध है। उन्होंने मांग की है कि उन पर अस्पताल मालिक से मिलीभगत का मामला दुर्ग CO

मिलाभगत को मामला दज हो। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैनसेलेकरमौजूदा स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका भी इस मामले में संदिग्ध है। वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि 2016 से अग्नि शमन कि 2016 से आन शमन निभाग प्रस्वा को अतुल गर्ग के कार्यकाल में अग्नि शमन विभाग प्रष्टाचार का अत्रु बना हुआ है। उन्होंने कहा कि विवेक विकार स्थित शिश्च अस्पताल में आनि शराने में मंत्री के ओएसडी एवं 2021 में तत्कालीन मेंडिकल सुपरिट्रिंड

क आएसडा एव 2021 में तत्कालान माडकल सुथार 252 नॉर्सी होम डा आर.एन. दास की प्रमिका बेहद संदिश्य है। उन्होंने कहा कि अस्पताल को एक इंस्पेक्शन में केवल पांच बन्चों की देखभाल योग्य पाया था। वहाँ प्रदेश भाज्य मीडिया प्रमुख अलीग शंकर. करूप, ने कहा कि रबाल्ध्य मंत्री को यह बताना चाहिए कि उन्होंने विशेष रूप से डॉ. दूस को अपना विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएमडी) बनाने की का अभना विशेष कतव्य आधकारी (आएसडा) बनान का मांग बयों की? उन्होंने सवाल किया कि दास का आप नेतृत्व से विशेष संबंध रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्री का बयान केवल अपना चेहरा बचाने के नाटक के अलावा और कछ नहीं है। उन्होंने कहा कि मंत्री का यह बयान वि अस्पताल के निरीक्षण और लाइसेंस का मामला 2021 क लेकिन वह 2023 में मंत्री बने, इसलिए वह इस मामले ए, सामन महाँ हैं में शामिल नहीं हैं



अणाजना का घटनाओं से शिशुओं के बदाया उन्होंने कहा कि हम दीसता निरादने के रावचा में की पुरस्तात के लिए उनके मांकी के अनुसांस करेंगे। प्रस्ता जांच तो गई है। साथ तजरब विभाग को आग में मारे गए बच्चे और घावलों हो, सभी अस्मतालों में वाटर के परिवार के मुझावजा देने की प्रक्रिया में तेजी लाने शिश्क लरा सिर्ट्य और के लिए कहा गांधी है। आंदोगेंटिक स्यांक डिटेंक्टर रावना के तिरेदी दिए पए हैं, ताकि आग की किसी भी घटना का अदेशा होने सर जेका जा सके। आंदसीवित दिप्टम और के तिसी भी घटना का अदेशा होने सर जेका जा सके। आंदसीवित दिप्टम और जोटोबेटिक स्यांक डिटेक्टर सिरटम और।

इंडिया शैल्टर फाइनेंस कॉपेरिशन लिमिटेड

ा भर भा फारवाई होगा। फारग, नाजना के जाठर सप्तदेवा झुट बोल रहे हैं और अस्पताल को 5 बेड की ही इजाजत दी गई थी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने पहले भी इस नर्सिंग होम के मालिक के खिलाफ 2 मुक़दमे दर्ज किए थे, जो कोर्ट में लंबित हैं।

19 जून 2024 को होने वाली कंपनी की 26वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में जानकारी को सुबह 11: 00 बजे (भारतीय के सुबह 11: 00 बजे (भारतीय RE 2021

तिर्वाक है दिखेश 2021, साम्यम्य परिषद्र क्रसांक 2,2022 दिखांक 5 मई 25.02, साम्याच 1),2022 दिसंभ 26 सिरांस, 2022 जीर रायाम्य परिषद क्रमांक 69/2023 दिसंभ 25 विविधिय, भारतों के पंतास्त हुए राखी, देववी (पूर्वविद्यार) तरीम्म और इक्ट्रवीस्स 1 विविध्य, 2015 (उस साथ राण) होने वाली और क्रमां क्रमान साथ पर संगीर्शित विद्या गा (क्रमां) के सहत क्रयोंकि की जा रही है। 19 व्यून, 2024 की जीने वाली भार्तिक आम सेवक को सुर्थका में निर्धारित व्यवसायों को क द्वीरिय में प्रति प्रतियोधियों कि लिए उस क्रिक को सुर्थका में निर्धारित व्यवसायों की क द्वीरिय में प्रति स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ कि स्वार्थ कि स्वार्थ के सहत क्रयोंकि की जा रही है। 10 द्वीरिय में प्रति स्वार्थ क्रयों कि लिए जा स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ कि स्वार्थ के साथ की है कि स्वर्थ को स्वार्थ के स्वार्थ क्रार्थ के साथ के स्वार्थ के साथ (स्वार्थ क्रिंग) तक क की स्वार्थ प्रति स्वार्थ क्रियों कि सिंह कि साथकों के स्वार्थ के साथ अपना संकार के स्वार्थ कि साथ क की स्वार्थ स्वार्थ के स्वार्थ क्रियों कि साथ कि साथ के साथ के साथ क्र स्वार्थ के साथ के स्वार्थ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ कि साथ के की स्वार्थ स्वार्थ के साथ कि साथ कि साथ के साथ के साथ के साथ कर साथ से साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ का साथ के साथ के

एवीएम के माध्यम से डी एवीएम में भाग ले सकते हैं। वीमी. लिए प्रक्रिया और लिहेश एजीएम के नीटिस में उपलब्ध करव ताल कोरम की गणना करने के मकसर से बीसी. ओएसीएम के ततनी की जएगी। जिन सदस्यों की ई-मेल आईडी अभी तक

देश्य केलत कारा, आएकाएम के आभ्यम में का एकाएम होरा में भार ते के लिए प्रक्रिका को दिलेंदा एकीग 13 के पात 130 के सात कोरात्म की एमना के ति का सदस्यों में तुई है दक्षां निषेदन है कि के अमने ई -जेल को दि तीएस के नीटिस में लिए गए स्वयी प्रकासों पर आन वीटिन मुलिआ प्रकार कर रही है । एकीएम के दीन दो पील का इस्टेमाल करते हुए किसों भी प्रतावन जगना बोट दा

का नोटिस कंपनी की वैवसहट https://www.indiash सई लिमिटेड (बीएसई) नेशनल स्टॉक एक्सचेंन ओफ इंडिया 1 अर्थात चीच् ः www.bseindia.com और www.nseindia.com म विवरहट www.evoting.nsdl.com भ हिते-इंडिया शैल्टर फाइनांस कॉर्पो

पुः कम्पनी सचिव और मुख्य अनुपालन अधिकारी सदस्यता संख्या ३८३३८6

हादसे से पहले ही बच्चे में हो रही थी दिक्कत

आग लगने से पहले ही शनिवार 10.30 बजे एक ज्वाला नगर निवासी विनोद और ज्योति के यहां बेटे ने जन्म लिया था। जन्म के बाद में उसे सांस लेने में परेशानी थी। परिवार ने उसे बेबी केयर अस्पताल में भर्ती कराया था। विनोद का ऑन लाइन सामान बेचने का कारोबार है। परिवार को आग लगने की जानकारी सुबह टीवी से मिली, तब से घर में मातम छाया है।



अजार की बेटी को भी सक्रमण था, रो-रोकर बुरा हाल

+